

मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

// संशोधन आदेश //

भोपाल, दिनांक ५ दिसम्बर 2011
क्रमांक एफ-03/38/2011/10-1: विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 17
11.2011 के अनुक्रमांक 32 (वरियता क्रमांक 243) पर अंकित श्री जंग बहादुर
सिंह, उप वन वनक्षेत्रपाल रीवा वृत्त को वनक्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नत करते
हुए रीवा वृत्त से शहडोल वृत्त पदस्थ किया गया है।

2/ स्थानांतरण नीति वर्ष 2011-12 की कंडिका-9.12 में उल्लेखित प्रावधान
अनुसार जिन कर्मचारी/अधिकारी की सेवानिवृत्ति में एक वर्ष या उससे कम
समय शेष है, सामान्यतः उनका स्थानांतरण नहीं किया जावे। चूंकि श्री
जगंबहादुर सिंह वनक्षेत्रपाल अपनी अधिवाषिकी आयु पूर्ण कर दिनांक 31.12.
2011 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

3/ अतएवं उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री जंग
बहादुर सिंह, उप वन वनक्षेत्रपाल को पदोन्नति उपरांत वनक्षेत्रपाल के पद पर
शहडोल वृत्त की गई पदस्थापना के स्थान पर, आगामी आदेश पर्यन्त, रीवा वृत्त
रीवा पदस्थ किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



7/12
(रजनीश श्रीवास्तव, आई.ए.एस.)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

पृ०क. एफ-03/38/2011/10-1:

भोपाल दिनांक ४ दिसम्बर 2011

रजनीश
वन क्षेत्रपाल

- प्रतिलिपि -
01. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(प्रशा-2) म०प्र. भोपाल
 02. मुख्य वन संरक्षक शहडोल/रीवा वृत्त रीवा म०प्र०।
 03. वन मंडलाधिकारी शहडोल/रीवा वृत्त म०प्र०
 04. निज सचिव, मान. वनमंत्रीजी/राज्यमंत्रीजी म०प्र० भोपाल।
 05. श्री जगंबहादुर सिंह वनक्षेत्रपाल द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
प्रशासन-2 म०प्र० भोपाल।
 06. स्टाक फाईल।


7/12
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा. I I) म0प्र0 भोपाल

पृ.क्रमांक/प्रशा. II /व.क्षे.कक्ष /7656

भोपाल, दिनांक-8/12/11

प्रतिलिपि:

मुख्य वन संरक्षक, शहडोल/रीवा म0प्र0 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित कर लेख है कि संबंधित कर्मचारी को आदेश की प्रति तत्काल वितरित करें। साथ ही उक्त कर्मचारी के भारमुक्त एवं उपस्थिति की जानकारी से इस कार्यालय को अवगत करायें।

ॐ 8/12/11

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा. I I)

म0प्र0 भोपाल

मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर 2012

क्रमांक एफ-03/58/2012/10-1: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नांकित उप वनक्षेत्रपालो को स्थानापन्न रूप से वनक्षेत्रपाल के पद पर, वेतनमान रूपये 9300-34800 + 3600 ग्रेड-पे में पदोन्नत करते हुए आगामी आदेश पर्यन्त उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से पदस्थ किया जाता है :-

क्र.	उप वनक्षेत्रपाल का नाम	वर्तमान पदस्थापना	पदोन्नति उपरांत पदस्थापना
01	श्री आर.पी.उपाध्याय	जबलपुर वृत्त	जबलपुर वृत्त
02	श्री आर.एन.यादव	जबलपुर वृत्त	जबलपुर वृत्त
03	श्री राजेन्द्र प्रसाद मिश्रा	जबलपुर वृत्त	सिवनी वृत्त
04	श्री शिवशरण पाण्डे	जबलपुर वृत्त	जबलपुर वृत्त
05	श्री श्याम सुन्दर मिश्रा	जबलपुर वृत्त	सिवनी वृत्त
06	श्री जे.पी.यादव	जबलपुर वृत्त	शहडोल वृत्त
07	श्री एच.एन.त्रिपाठी	जबलपुर वृत्त	सागर वृत्त
08	श्री जे.एल.यादव	जबलपुर वृत्त	जबलपुर वृत्त
09	श्री कामता प्रसाद बरकडे	जबलपुर वृत्त	सागर वृत्त
10	श्री शेर सिंह मडावी	सिवनी वृत्त	खण्डवा वृत्त

2- उपरोक्त दर्शाया गया कम वरिष्ठता सूची के अनुसार न होकर केवल पदस्थापना की दृष्टि से है।

3- म0प्र0 लोक सेवा (पदोन्नति)नियम 2002 के अधीन सुविधा सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियों रोस्टर में पंजी कर दी गई है।

4- प्रमाणित किया जाता है कि म0प्र0 लोक सेवा (अनु.जातियों,अनु.जनजातियों और अन्य पिछडा वर्ग के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21-सन 1994) तथा म0प्र0 लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के उपबंधो और उक्त अधिनियम एवं नियमो के उपबंधो के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किए गये अनुदेशो का अनुपालन किया गया है तथा उसे (नियोक्ता को) उक्त अधिनियम की धारा-6 की उपधारा-1 के अनुबंधो का पूर्ण संज्ञान है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार


5/12/12
(बबीता वसुनिया)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

भोपाल दिनांक 5 दिसम्बर 2012

क्रमांक एफ-03/58/2012/10-1

प्रतिलिपि -

01 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।

02 सचिव, म0प्र0 लोक सेवा आयोग इन्दौर

- 0.3 विशेष सहायक, मंत्री जी वन विभाग ।
0.4 निज सहायक माननीय राज्यमंत्रीजी वन ।
0.5 प्रधान मुख्य वन संरक्षक म०प्र. भोपाल ।
0.6 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-2) म०प्र० भोपाल ओर पत्र क्रमांक 145 दिनांक 27.11.2012 के परिप्रेक्ष्य में ।
0.7 मुख्य वन संरक्षक जबलपुर, सिवनी, शहडोल, सागर, खंडवा वृत्त म०प्र० द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-2) म.प्र. भोपाल ।
0.8 संबंधित वन संरक्षक अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-2) म.प्र. भोपाल ।
0.9 संबंधित अधिकारी द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-2) म०प्र० भोपाल ।
1.0 संयुक्त संचालक जनसम्पर्क प्रकोष्ठ भोपाल ।
1.1 स्टाक फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


5.12.12
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (शाखा-प्रशासन-II) मध्यप्रदेश, भोपाल ।


पृष्ठांकन क्रमांक/प्रशासन-II/व.क्षे.कक्ष/ 7584

भोपाल, दिनांक 6/12/12

प्रतिलिपि:-

- 1/ निज सहायक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) म०प्र०, भोपाल ।
- 2/ निज सहायक प्रधान मुख्य वन संरक्षक (का.आ.) म०.प्र०, भोपाल ।
- 3/ निज सहायक सदस्य पर्यावरण एवं वन, (न.घा.वि.प्रा.) म०प्र०, भोपाल ।
- 4/ निज सहायक, प्रबंध संचालक म०प्र० राज्य लघु वनोपज संघ, भोपाल ।
- 5/ निज सहायक प्रबंध संचालक, म०प्र० राज्य वन विकास निगम, भोपाल ।
- 6/ समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, म०प्र०, भोपाल ।
- 7/ मुख्य वन संरक्षक जबलपुर/ खण्डवा/ सागर/ सिवनी एवं शहडोल, म०प्र० ।
- 8/ क्षेत्र संचालक, कान्हा टा.रि. मण्डला/ पेंच रा.उ. सिवनी एवं बोंधवगढ टा.रि. उमरिया, म०प्र० ।
- 9/ मुख्य वन संरक्षक (अनु विस्तार) जबलपुर/ खण्डवा/ सागर एवं सिवनी, म०प्र० ।
- 10/ कक्ष प्रभारी (गोपनीय/ मुख्य स्थापना/ क्षेत्रीय स्थापना-1) कार्या.अ.प्र.मु.व.सं. (प्रशा-2) म०प्र०, भोपाल ।
- 11/ संबंधित कर्मचारी द्वारा संबंधित मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


6.12.12
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-II)

मध्यप्रदेश, भोपाल ।
6/12/12

मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 6 नवम्बर 2012


क्रमांक एफ-03/58/2012/10-1: राज्य शासन एतद् द्वारा श्री गुठईया प्रसाद चर्मकार
उप वनक्षेत्रपाल को स्थानापन्न रूप से वनक्षेत्रपाल के पद पर, वेतनमान रूपये
9300-34800 + 3600 ग्रेड-पे में पदोन्नत करते हुए, आगामी आदेश पर्यन्त सागर वृत्त
सागर में तत्काल प्रभाव से पदस्थ किया जाता है।

2- म0प्र0 लोक सेवा (पदोन्नति)नियम 2002 के अधीन सुविधा सुनिश्चित करने हेतु
निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियों रोस्टर में पंजी कर दी गई है।

3- प्रमाणित किया जाता है कि म0प्र0 लोक सेवा (अनु.जातियों,अनु.जनजातियों और
अन्य पिछडा वर्ग के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21-सन 1994) तथा म0प्र0
लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के उपबंधो और उक्त अधिनियम एवं नियमो के उपबंधो
के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किए गये अनुदेशो का अनुपालन किया गया है तथा
उसे (नियोक्ता को) उक्त अधिनियम की धारा-6 की उपधारा-1 के अनुबंधो का पूर्ण संज्ञान
है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार


6.11.12
(बबीता वसुनिया)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

भोपाल दिनांक 6 नवम्बर 2012

क्रमांक एफ-03/58/2012/10-1

प्रतिलिपि -

- 01 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
- 02 सचिव, म0प्र0 लोक सेवा आयोग इन्दौर

- 03 विशेष सहायक, मंत्री जी वन विभाग ।
- 04 निज सहायक माननीय राज्यमंत्रीजी वन ।
- 05 प्रधान मुख्य वन संरक्षक म0प्र. भोपाल ।
- 06 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-2) म0प्र0 भोपाल ।
- 07 मुख्य वन संरक्षक सागर, रीवा मध्यप्रदेश ।
- 08 वन संरक्षक रीवा /सागर वृत्त ।
- 09 श्री गुठईया प्रसाद चर्मकार उप वनक्षेत्रपाल द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-2) म0प्र0 भोपाल ।
- 10 संयुक्त संचालक जनसम्पर्क प्रकोष्ठ भोपाल ।
- 11 स्टाक फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

1-25-11/म.प्र. शासन
8/11/12

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(प्रशा-II) म.प्र. भोपाल
8.11.12



अवर सचिव
8/11/12

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 5 नवम्बर 2012

क्रमांक एफ-03/58/2012/10-1: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नांकित उप वनक्षेत्रपालों को स्थानापन्न रूप से वनक्षेत्रपाल के पद पर, वेतनमान रूपये 9300-34800 + 3600 ग्रेड-पे में पदोन्नत करते हुए आगामी आदेश पर्यन्त उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से पदस्थ किया जाता है :-

क्र.	उप वनक्षेत्रपाल का नाम	वर्तमान पदस्थापना	पदोन्नति उपरांत पदस्थापना	
01	श्री पुष्पेन्द्रसिंह परिहार ✓	छतरपुर	छतरपुर	15-1-53
02	श्री मुन्नालाल कारपेंटर ✓	छतरपुर	ग्वालियर	11-10-53
03	श्री रामनरेश यादव ✓	छतरपुर	इन्दौर	1-10-53
04	श्री वीरभान सिंह चतुर्वेदी ✓	जबलपुर	जबलपुर	8-12-52
05	श्री दशरथ साकेत ✓	रीवा	खण्डवा	14-9-61

- 2- उपरोक्त दर्शाया गया क्रम वरिष्ठता सूची के अनुसार न होकर केवल पदस्थापना की दृष्टि से है।
- 3- म0प्र0 लोक सेवा (पदोन्नति)नियम 2002 के अधीन सुविधा सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियाँ रोस्टर में पंजी कर दी गई है।
- 4- प्रमाणित किया जाता है कि म0प्र0 लोक सेवा (अनु.जातियों,अनु.जनजातियों और अन्य पिछडा वर्ग के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21-सन 1994) तथा म0प्र0 लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के उपबंधों और उक्त अधिनियम एवं नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किए गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे (नियोक्ता को) उक्त अधिनियम की धारा-6 की उपधारा-1 के अनुबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार


(बबीता वसुनिया)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग
भोपाल दिनांक 05 नवम्बर 2012

क्रमांक एफ-03/58/2012/10-1

प्रतिलिपि -

- 01 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
- 02 सचिव, म0प्र0 लोक सेवा आयोग इन्दौर
- 03 विशेष सहायक, मंत्री जी वन विभाग।
- 04 निज सहायक माननीय राज्यमंत्रीजी वन।
- 05 प्रधान मुख्य वन संरक्षक म0प्र. भोपाल।

25/10/2012
025/11/12

वन संरक्षक 07
5.11.12

- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-2) म0प्र0 भोपाल और पत्र क्रमांक 129 दिनांक 09.10.2012 के परिप्रेक्ष्य में ।
- मुख्य वन संरक्षक छतरपुर, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, खंडवा वृत्त म0प्र0 द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रशासन-2 म.प्र. भोपाल ।
- 08 संबंधित वन संरक्षक अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रशासन-2 म.प्र. भोपाल ।
- 09 संबंधित अधिकारी द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-2) म0प्र0 भोपाल ।
- 10 संयुक्त संचालक जनसम्पर्क प्रकोष्ठ भोपाल ।
- 11 स्टाक फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

5.11.12
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (शाखा-प्रशासन-II) मध्यप्रदेश, भोपाल ।

पृष्ठांकन क्रमांक/प्रशासन-II/व.क्षे.कक्ष/ 7017

भोपाल, दिनांक 5/11/12

प्रतिलिपि:-

- 1/ निज सहायक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) म0प्र0, भोपाल ।
- 2/ निज सहायक प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कां.आ.) म0.प्र0, भोपाल ।
- 3/ निज सहायक सदस्य पर्यावरण एवं वन, (न.घा.वि.प्रा.) म0प्र0, भोपाल ।
- 4/ निज सहायक, प्रबंध संचालक म0प्र0 राज्य लघु वनोपज संघ, भोपाल ।
- 5/ निज सहायक प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य वन विकास निगम, भोपाल ।
- 6/ समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, म0प्र0, भोपाल ।
- 7/ मुख्य वन संरक्षक छतरपुर/ग्वालियर/इन्दौर/जबलपुर/खण्डवा एवं रीवा, म0प्र0 ।
- 8/ क्षेत्र संचालक, पन्ना टाईगर रिजर्व, पन्ना /कान्हा टा.रि. मण्डला /कूनों पालपुर वन्यप्राणी श्योपुर एवं संजय टाईगर रिजर्व सीधी म0प्र0 ।
- 9/ मुख्य वन संरक्षक (अनु.विस्तार) ग्वालियर/इन्दौर/जबलपुर/खण्डवा एवं रीवा, म0प्र0 ।
- 10/ कक्ष प्रभारी (गोपनीय/मुख्या.स्था./क्षेत्रीय स्थापना-1) कार्या.अ.प्र.मु.व.सं. (प्रशा-2) म0प्र0, भोपाल ।
- 11/ संबंधित कर्मचारी द्वारा संबंधित मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

5.11.12

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-II)

मध्यप्रदेश, भोपाल ।

7

मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 25 अक्टूबर 2012

क्रमांक एफ-03/58/2012/10-1: राज्य शासन एतद् द्वारा श्री रमाकान्त दुबे उप 2010/12
वनक्षेत्रपाल को स्थानापन्न रूप से वनक्षेत्रपाल के पद पर, वेतनमान रूपये 9300-34800 +
3600 ग्रेड-पे में पदोन्नत करते हुए, आगामी आदेश पर्यन्त भोपाल वृत्त भोपाल के पद पर
तत्काल प्रभाव से पदस्थ किया जाता है।

2- उपरोक्त दर्शाया गया क्रम वरिष्ठता सूची के अनुसार न होकर केवल पदस्थापना की
दृष्टि से है।

3- म0प्र0 लोक सेवा (पदोन्नति)नियम 2002 के अधीन सुविधा सुनिश्चित करने हेतु
निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियाँ रोस्टर में पंजी कर दी गई है।

4- प्रमाणित किया जाता है कि म0प्र0 लोक सेवा (अनु.जातियों,अनु.जनजातियों और
अन्य पिछडा वर्ग के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21-सन 1994) तथा म0प्र0
लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के उपबंधो और उक्त अधिनियम एवं नियमो के उपबंधो
के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किए गये अनुदेशो का अनुपालन किया गया है तथा
उसे (नियोक्ता को) उक्त अधिनियम की धारा-6 की उपधारा-1 के अनुबंधो का पूर्ण संज्ञान
है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार


(बबीता वसुनिया)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

भोपाल दिनांक 25 अक्टूबर 2012

क्रमांक एफ-03/58/2012/10-1

प्रतिलिपि -

- 01 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
- 02 सचिव, म0प्र0 लोक सेवा आयोग इन्दौर

- 03 विशेष सहायक, मंत्री जी वन विभाग ।
- 04 निज सहायक माननीय राज्यमंत्रीजी वन ।
- 05 प्रधान मुख्य वन संरक्षक म0प्र. भोपाल ।
- 06 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-2) म0प्र0 भोपाल ।
- 07 मुख्य वन संरक्षक भोपाल वृत्त भोपाल ।
- 08 वन संरक्षक भोपाल वृत्त भोपाल ।
- 09 श्री रमाकान्त दुबे उप वनक्षेत्राल द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-2) म0प्र0 भोपाल ।
- 10 संयुक्त संचालक जनसम्पर्क प्रकोष्ठ भोपाल ।
- 11 स्टाक फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


25.10.12
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 18 अक्टूबर 2012

क्रमांक एफ-03/58/2012/10-1: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नांकित उप वनक्षेत्रपालो को स्थानापन्न रूप से वनक्षेत्रपाल के पद पर, वेतनमान रूपये 9300-34800+ 3600 ग्रेड-पे में पदोन्नत करते हुए आगामी आदेश पर्यन्त उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से पदस्थ किया जाता है :-

क.	उप वनक्षेत्रपाल का नाम	वर्तमान पदस्थापना	पदोन्नति उपरांत पदस्थापना	
01	श्री के.पी.मिश्रा ✓	जबलपुर	जबलपुर वृत्त	15-3-53
02	श्री जी.पी.भाटिया ✓	भोपाल	भोपाल वृत्त	6-5-53
03	श्री आर.सी.चौहान ✓	भोपाल	ग्वालियर वृत्त	3-1-54
04	श्री आजाद नागोरिया ✓	उज्जैन	सिवनी वृत्त	8-1-63
05	श्री आर.एस.पाठक ✓	भोपाल	होशंगाबाद वृत्त	11-6-55
06	श्री आर.पी.चौधरी ✓	भोपाल	भोपाल वृत्त	14-6-53
07	श्री जगदीश चौधरी ✓	उज्जैन	खंडवा वृत्त	1-7-61
08	श्री गोपाल बन्धु ✓	उज्जैन	खंडवा वृत्त	1-4-58
09	श्री श्रीदीन साकेत ✓	रीवा	ग्वालियर वृत्त	9-7-51

- उपरोक्त दर्शाया गया क्रम वरिष्ठता सूची के अनुसार न होकर केवल पदस्थापना की दृष्टि से है।
- म0प्र0 लोक सेवा (पदोन्नति)नियम 2002 के अधीन सुविधा सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियाँ रोस्टर में पंजी कर दी गई है।
- प्रमाणित किया जाता है कि म0प्र0 लोक सेवा (अनु.जातियों,अनु.जनजातियों और अन्य पिछडा वर्ग के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21-सन 1994) तथा म0प्र0 लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के उपबंधो और उक्त अधिनियम एवं नियमो के उपबंधो के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किए गये अनुदेशो का अनुपालन किया गया है तथा उसे (नियोक्ता को) उक्त अधिनियम की धारा-6 की उपधारा-1 के अनुबंधो का पूर्ण संज्ञान है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(बबीता वसुनिया)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

.....2

कमांक एफ-03/46/2012/10-1

भोपाल दिनांक 18 अक्टूबर 2012

प्रतिलिपि -

- 01 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
- 02 सचिव, म0प्र0 लोक सेवा आयोग इन्दौर
- 03 विशेष सहायक, मंत्री जी वन विभाग ।
- 04 निज सहायक माननीय राज्यमंत्रीजी वन ।
- 05 प्रधान मुख्य वन संरक्षक म0प्र. भोपाल ।
- 06 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-2) म0प्र0 भोपाल ओर पत्र कमांक 129 दिनांक 09.10.2012 के परिप्रेक्ष्य में ।
- 07 मुख्य वन संरक्षक जबलपुर, भोपाल, रीवा, ग्वालियर, सिवनी, होशंगाबाद, खंडवा वृत्त म0प्र0 ।
- 08 संबंधित वन संरक्षक
- 09 संबंधित अधिकारी द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-2) म0प्र0 भोपाल ।
- 10 संयुक्त संचालक जनसम्पर्क प्रकोष्ठ भोपाल ।
- 11 स्टाक फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (शाखा-प्रशासन-II) मध्यप्रदेश, भोपाल ।

पृष्ठांकन कमांक/प्रशासन-II/व.क्षे.कक्ष/ 6744

भोपाल, दिनांक 19/10/12

प्रतिलिपि:- 1/निज सहायक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) म0प्र0, भोपाल ।

2/निज सहायक प्रधान मुख्य वन संरक्षक (का.आ.) म0.प्र0, भोपाल ।

3/निज सहायक सदस्य पर्यावरण एवं वन, (न.घा.वि.प्रा.) म0प्र0, भोपाल ।

4/निज सहायक, प्रबंध संचालक म0प्र0 राज्य लघु वनोपज संघ, भोपाल ।

5/निज सहायक प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य वन विकास निगम, भोपाल ।

6/समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, म0प्र0, भोपाल ।

7/मुख्य वन संरक्षक भोपाल/ग्वालियर/होशंगाबाद/जबलपुर/खण्डवा/रीवा/सिवनी, एवं उज्जैन ।


8/क्षेत्र संचालक, वन विहार रा.उ.भोपाल/कान्हा टा.रि., मण्डला/सतपुडा टा.रि., पचमढी/कूनों पालपुर वन्यप्राणी श्योपुर/संजय टाईगर रिजर्व सीधी एवं पेंच रा.उ.सिवनी, म0प्र0 ।

9/मुख्य वन संरक्षक (अनु.विस्तार.) भोपाल/ग्वालियर/जबलपुर/खण्डवा/रीवा एवं सिवनी म0प्र0 ।

10/कक्ष प्रभारी (गोपनीय/मुख्या.स्था./क्षेत्रीय स्थापना-1) कार्या.अ.प्र.मु.व.सं. (प्रशा-2) म0प्र0, भोपाल ।

11/संबंधित कर्मचारी द्वारा संबंधित मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


19.10.12
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-II)

मध्यप्रदेश, भोपाल ।


19/10/12

मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 01 सितम्बर, 2012

क्रमांक एफ 3-58/2012/10-1: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नांकित उप वनक्षेत्रपालों को स्थानापन्न रूप से वनक्षेत्रपाल के पद पर वेतनमान रूपये 9300-34800 + 3600 ग्रेड-पे में पदोन्नत करते हुए आगामी आदेश पर्यन्त उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से पदस्थ किया जाता है :-

क्र.	उप वनक्षेत्रपाल का नाम	वर्तमान पदस्थापना	पदोन्नति उपरांत पदस्थापना	
1	2	3	4	
1.	श्री कुंवर बहादुर सिंह ✓	रीवा वृत्त	शहडोल वृत्त	1-7-58
2.	श्री जानकी प्रसाद शर्मा ✓	रीवा वृत्त	शहडोल वृत्त	1-1-55
3.	श्री रामसुवन मिश्रा ✓	रीवा वृत्त	सिवनी वृत्त	22-10-53
4.	श्री शंकरदीन कुशवाहा ✓	रीवा वृत्त	रीवा वृत्त	2-9-52
5.	श्री चन्द्रमोहन पाण्डे ✓	रीवा वृत्त	रीवा वृत्त	1-1-53
6.	श्री अशोक कुमार शर्मा ✓	रीवा वृत्त	जबलपुर वृत्त	26-1-54
7.	श्री रमाकान्त शुक्ला ✓	रीवा वृत्त	खण्डवा वृत्त	30-1-55
8.	श्री सीताराम राजुलकर ✓	जबलपुर वृत्त	बैतूल वृत्त	3-11-61
9.	श्री रामनरेश साकेत ✓	रीवा वृत्त	होशंगाबाद वृत्त	28-7-63
10.	श्री खजान सिंह चौहान ✓	खण्डवा वृत्त	ग्वालियर वृत्त	

2/ उपरोक्त दर्शाया गया क्रम वरिष्ठता सूची के अनुसार न होकर केवल पदस्थापना की दृष्टि से हैं।

3/ मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के अधीन सुविधा सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियों रोस्टर पंजी में कर दी गई हैं।

4/ प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम-1994 (क्रमांक 21-सन् 1994) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबन्धों और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धनों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे (नियोक्ता को) उक्त अधिनियम की धारा-6 की उपधारा (1) के उपबन्धों का पूर्ण संज्ञान है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

(आर.के.चौकसे)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

पृ0क्र. एफ 3-58/2012/10-1,

भोपाल, दिनांक 01 सितंबर, 2012

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
2. सचिव, म.प्र. लोक सेवा आयोग, इंदौर।
3. निज सचिव, मंत्री जी/राज्यमंत्री जी, वन विभाग, भोपाल।
4. निज सचिव, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वन विभाग, भोपाल।
5. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश, भोपाल।
6. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-II) मध्यप्रदेश, भोपाल।
7. मुख्य वन संरक्षक शहडोल, सिवनी, रीवा, जबलपुर, खण्डवा, बैतूल, होशंगाबाद, ग्वालियर म.प्र.।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-II) म.प्र. भोपाल।
9. संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क प्रकोष्ठ, भोपाल।
10. स्टाक फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

निज शाखा वि.सं. /
म.प्र. शासन 01/9/12

01/9/12

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(प्रशा-II) म.प्र. शासन
01/9/12

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (शाखा-प्रशासन-II) मध्यप्रदेश, भोपाल।

पृष्ठांकन क्रमांक/प्रशासन-II/व.क्षे.कक्ष/ 5.641.

भोपाल, दिनांक 01/9/12

प्रतिलिपि:-

- 1/ निज सहायक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) म0प्र0, भोपाल।
- 2/ निज सहायक प्रधान मुख्य वन संरक्षक (का.आ.) म0.प्र0, भोपाल।
- 3/ निज सहायक सदस्य पर्यावरण एवं वन, (न.घा.वि.प्रा.) म0प्र0, भोपाल।
- 4/ निज सहायक, प्रबंध संचालक म0प्र0 राज्य लघु वनोपज संघ, भोपाल।
- 5/ निज सहायक प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य वन विकास निगम, भोपाल।
- 6/ समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, म0प्र0, भोपाल।
- 7/ मुख्य वन संरक्षक बैतूल/ग्वालियर/होशंगाबाद/जबलपुर/खण्डवा/शहडोल/सिवनी, म0प्र0।
- 8/ क्षेत्र संचालक, कान्हा टा.रि., मण्डला/संजय रा.उ.सीधी, म0प्र0।
- 9/ मुख्य वन संरक्षक (अनु.विस्तार) रीवा/जबलपुर/खण्डवा, म0प्र0।
- 10/ कक्ष प्रभारी (गोपनीय/मुख्या.स्थापना/क्षेत्रीय स्थापना-1) कार्या.अ.प्र.मु.व.सं. (प्रशा-2) म0प्र0, भोपाल।
- 11/ संबंधित कर्मचारी द्वारा संबंधित मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

01/9/12

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-II)

मध्यप्रदेश, भोपाल।

17/9

मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन

॥ आदेश ॥

भोपाल, दिनांक 21 अगस्त, 2012

क्रमांक एफ 3-58/2012/10-1 : राज्य शासन एतद द्वारा निम्नलिखित उप वनक्षेत्रपालों को स्थानापन्न रूप से वन क्षेत्रपाल के पद पर, वेतनमान रूपये 9300-3480 + 3600 ग्रेड पे में, पदोन्नत करते हुए आगामी आदेश पर्यन्त उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से पदस्थ किया जाता है :-

क्र.	उप वन क्षेत्रपाल का नाम	वर्तमान पदस्थापना	पदोन्नति उपरांत पदस्थापना	
1	2	3	4	
1.	श्री हरिसिंह मोर्य ✓	खण्डवा वृत्त	होशंगाबाद वृत्त	(सा) 1-7-54
2.	श्री हरिप्रसाद सोनी ✓	खण्डवा वृत्त	खण्डवा वृत्त	(सा) 5-12-52
3.	श्री रामसिंह जलखरे ✓	खण्डवा वृत्त	ग्वालियर वृत्त	(सा) 1-11-54
4.	श्री शंकर सिंह चतुर्वेदी ✓	जबलपुर वृत्त	छिन्दवाड़ा वृत्त	(सा) 7-7-53
5.	श्री रामलखन शुक्ला ✓	जबलपुर वृत्त	छिन्दवाड़ा वृत्त	(सा) 20-8-53
6.	श्री आर. सिंह ✓	जबलपुर वृत्त	सिवनी वृत्त	(सा) 2-11-54
7.	श्री बी.एल.पाठक ✓	जबलपुर वृत्त	इन्दौर वृत्त	(सा) 4-1-55
8.	श्री एल.पी. पटेल ✓	जबलपुर वृत्त	भोपाल वृत्त	(सा) 1-7-53
9.	श्री प्रकाश महाजन ✓	बैतूल वृत्त	भोपाल वृत्त	(सा) 8-6-53
10.	श्री आर.एस. रघुवंशी ✓	ग्वालियर वृत्त	ग्वालियर वृत्त (1)	(सा) 2-8-52

2/ उपरोक्त दर्शाया गया कम वरिष्ठता सूची के अनुसार न होकर केवल पदस्थापना की दृष्टि से हैं।

3/ मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के अधीन सुविधा सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियाँ रोस्टर पंजी में कर दी गई हैं।

4/ प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (अधिनियम 1994 क्रमांक 21-सन् 1994) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबन्धों और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे (नियोक्ता को) उक्त अधिनियम की धारा-6 की उपधारा(1) के उपबन्धों का पूर्ण संज्ञान है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.के.चौकसे)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

पृ0क्र. एफ 3-58/2012/10-1.

प्रतिलिपि :-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर म0प्र0
2. सचिव, म.प्र. लोक सेवा आयोग, इंदौर म0प्र0
3. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, वन।
4. निज सचिव, माननीय राज्य मंत्री जी वन।
5. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश, भोपाल।
6. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-II) मध्यप्रदेश, भोपाल।
7. मुख्य वन संरक्षक, होशंगाबाद/खण्डवा/ग्वालियर/छिन्दवाड़ा/सिवनी/इन्दौर/भोपाल।
8. वन संरक्षक/वनमण्डलाधिकारी, होशंगाबाद/खण्डवा/ग्वालियर/छिन्दवाड़ा/सिवनी/इन्दौर/भोपाल।
9. संबंधित अधिकारी द्वारा:- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-II) मध्यप्रदेश, भोपाल।
10. संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क प्रकोष्ठ भोपाल म0प्र0।
11. गार्ड फाईल
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

प्र-सं.
22/8/12
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(प्रशा-II) म.प्र. भोपाल
21-8-12


21/8/12
अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश, भोपाल।

(शाखा-प्रशासन-II)

पृष्ठांकन क्रमांक/प्रशासन-II/व.क्षे.कक्ष/ 5383

भोपाल, दिनांक 22/8/12

प्रतिलिपि:-

- 1/ निज सहायक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) म0प्र0, भोपाल।
- 2/ निज सहायक प्रधान मुख्य वन संरक्षक (का.आ.) म0.प्र0, भोपाल।
- 3/ निज सहायक सदस्य पर्यावरण एवं वन, (न.घा.वि.प्रा.) म0प्र0, भोपाल।
- 4/ निज सहायक, प्रबंध संचालक म0प्र0 राज्य लघु वनोपज संघ, भोपाल।
- 5/ निज सहायक प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य वन विकास निगम, भोपाल।
- 6/ समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, म0प्र0, भोपाल।
- 7/ मुख्य वन संरक्षक भोपाल/ ^{बैतूल} छिन्दवाड़ा/ग्वालियर/होशंगाबाद/इन्दौर/ जबलपुर/ खण्डवा एवं सिवनी, म0प्र0।
- 8/ क्षेत्र संचालक, वन विहार रा.उ.भोपाल/कान्हा टा.रि., मण्डला/सतपुड़ा टा.रि., पचमढी एवं पेंच रा.उ.सिवनी, म0प्र0।
- 9/ मुख्य वन संरक्षक (अनु.विस्तार) भोपाल/ बैतूल/ग्वालियर/इन्दौर/जबलपुर/खण्डवा एवं सिवनी, म0प्र0।
- 10/ कक्ष प्रभारी (गोपनीय/मुख्यालय स्थापना/क्षेत्रीय स्थापना-1) कार्या.अ.प्र.मु.व.सं. (प्रशा-2) म0प्र0, भोपाल।
- 11/ संबंधित कर्मचारी द्वारा संबंधित मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


22/8/12

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-II)

मध्यप्रदेश, भोपाल।

22/8

मध्यप्रदेश शासन
वल्लभ भवन
मंत्रालय, वन विभाग भोपाल-462004

॥ आदेश ॥

भोपाल, दिनांक 16. जुलाई 2012

क्रमांक एफ 3-58/2012/10-1 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्न लिखित उप वनक्षेत्रपालों को स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश पर्यन्त वनक्षेत्रपाल के पद पर वेतनमान रूपये 9300-3480+ग्रेड पे 3600 में पदोन्नत करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 में अंकित स्थान पर पदस्थ किया जाता है :-

क्र	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थिति	पदोन्नति उपरांत पदस्थापना	
1.	श्री पूरनलाल पारधी ✓	बालाघाट वृत्त	बालाघाट वृत्त (03)	12-12-52
2.	श्री बी.के. शर्मा ✓	जबलपुर वृत्त	बालाघाट वृत्त (20)	18-5-53
3.	श्री सूर्यकान्त मिश्रा ✓	रीवा वृत्त	शहडोल वृत्त (126)	- 1-8-58
4.	श्री राजाराम सिंह रघुवंशी ✓	शिवपुरी वृत्त	ग्वालियर वृत्त (164)	- 3-7-53
5.	श्री नारायण प्रसाद तिवारी ✓	इंदौर वृत्त	खण्डवा वृत्त (177)	- 19-1-59
6.	श्री अशोक कुमार तिवारी ✓	छतरपुर वृत्त	होशंगाबाद वृत्त (179)	- 4-1-63
7.	श्री रमेश कुमार मिश्रा ✓	छतरपुर वृत्त	जबलपुर वृत्त (180)	- 3-6-57
8.	श्री सुरेन्द्र सिंह राजपूत ✓	छिन्दवाड़ा वृत्त	जबलपुर वृत्त (182)	- 8-5-64
9.	श्री अनिल जोशी ✓	उज्जैन वृत्त	न0घा0वि.प्रा0 धार (प्रतिनियुक्ति पर) (183)	- 5-9-58
10.	श्री मनवीर सिंह ✓	होशंगाबाद वृत्त	न0घा0वि.प्रा0 भोपाल (प्रतिनियुक्ति पर) (184)	- 5-1-57
11.	श्री किशोर सिंह रघुवंशी ✓	शिवपुरी वृत्त	छिन्दवाड़ा वृत्त (186)	- 5-1-60
12.	श्री अरूण कुमार जैन ✓	शिवपुरी वृत्त	ग्वालियर वृत्त (187)	- 2-12-57
13.	श्री मुनिराज पटेल ✓	रीवा वृत्त	जबलपुर वृत्त (188)	- 15-5-54
14.	श्री विनय सिंह ✓	रीवा वृत्त	शहडोल वृत्त (189)	- 1-7-60
15.	श्री शिवाकान्त शुक्ला ✓	होशंगाबाद वृत्त	न0घा0वि.प्रा0 भोपाल (प्रतिनियुक्ति पर) (198)	- 6-5-59
16.	श्री मुन्नालाल दुबे ✓	सिवनी वृत्त	बालाघाट वृत्त (193)	12-5-54
17.	श्री सेवक राम जंगेला ✓	सिवनी वृत्त	सिवनी वृत्त (195)	5-12-52
18.	श्री के.पी. ठाकुर ✓	सागर वृत्त	भोपाल वृत्त (197)	1-7-54
19.	श्री बुद्धगिरी गोस्वामी ✓	बालाघाट वृत्त	बालाघाट वृत्त (200)	15-9-52
20.	श्री बापूसिंह यादव ✓	इंदौर वृत्त	होशंगाबाद वृत्त (204)	13-7-58
21.	श्री दिलीप कुमार दुबे ✓	उज्जैन वृत्त	रीवा वृत्त (205)	17-9-55

22.	श्री यशवर्धन टेलर ✓	उज्जैन वृत्त	जबलपुर वृत्त (206)	14-10-60
23.	श्री अजय शर्मा ✓	उज्जैन वृत्त	खण्डवा वृत्त (207)	02-11-60
24.	श्री देवेन्द्र सिंह चौहान ✓	उज्जैन वृत्त	होशंगाबाद वृत्त (208)	05-01-62
25.	श्री कृष्ण शर्मा ✓	उज्जैन वृत्त	शिवपुरी वृत्त (209)	25-06-63
26.	श्री राजेन्द्र योगी ✓	उज्जैन वृत्त	खण्डवा वृत्त (210)	15-07-57
27.	श्री प्रवीण कुमार व्यास ✓	इंदौर वृत्त	उज्जैन वृत्त (216)	3-05-59
28.	श्री अरविन्द सिंह तोमर ✓	इंदौर वृत्त	न0घा0वि0प्रा0 देवास (प्रतिनियुक्ति पर) (218)	1-7-55
29.	श्री जयवीर सिंह ✓	इंदौर वृत्त	शिवपुरी वृत्त (219)	1-4-63
30.	श्री विनोद कुमार मिश्रा ✓	इंदौर वृत्त	उज्जैन वृत्त (220)	5-3-53
31.	श्री रामगोपाल दसहोरे ✓	खण्डवा वृत्त	सागर वृत्त (225)	20-5-63
32.	श्री नटवरलाल गुप्ता ✓	खण्डवा वृत्त	रीवा वृत्त 226	07-6-55
33.	श्री टीपू भीलिया सोलंकी ✓	खण्डवा वृत्त	न0घा0वि0प्रा0 खण्डवा (प्रतिनियुक्ति पर) (137)	20-10-59
34.	श्री दशरथ धानुक ✓	खण्डवा वृत्त	ग्वालियर वृत्त (144)	21-4-55
35.	श्री अरूण रायकुवर ✓	बैतूल वृत्त	भोपाल वृत्त (151)	9-3-69
36.	श्री झलकन सिंह बघेल ✓	सिवनी वृत्त	छिन्दवाड़ा वृत्त (178)	1-11-53
37.	श्री वाल्मिक प्रसाद वर्मा ✓	शहडोल वृत्त	रीवा वृत्त (269)	18-7-53
38.	श्री मानसिंह जमोरिया ✓	ग्वालियर वृत्त	रीवा वृत्त (271)	20-7-56
39.	श्री श्यामलाल कुरील ✓	बालाघाट वृत्त	होशंगाबाद वृत्त (340)	02-4-54
40.	दाऊजी राम जाटव ✓	ग्वालियर वृत्त	रीवा वृत्त (343)	17-4-60
41.	श्री एन.पी. कार्तिके ✓	जबलपुर वृत्त	शहडोल वृत्त (350)	9-6-59
42.	श्री पेट्रिक रावत ✓	इंदौर वृत्त	खण्डवा वृत्त (91)	3-5-63
43.	श्री कलई प्रसाद गौड़ ✓	छतरपुर	सागर वृत्त (156)	31-8-56
44.	श्री गंगूलाल उइके ✓	बालाघाट वृत्त	जबलपुर वृत्त (161)	15-6-54
45.	श्री अधूप सिंह उइके ✓	होशंगाबाद वृत्त	सागर वृत्त (169)	27-8-54
46.	श्री सोनसिंह उइके ✓	बालाघाट वृत्त	होशंगाबाद वृत्त (203)	14-03-54
47.	श्री गिरधारीलाल मकवाना ✓	उज्जैन वृत्त	रीवा वृत्त	20-9-60
48.	श्री जुवान सिंह राठौर ✓	उज्जैन वृत्त	छतरपुर वृत्त	01-01-60
49.	श्री कालूसिंह डामर ✓	उज्जैन वृत्त	रीवा वृत्त	20-07-53
50.	श्री सुरेश चन्द्र जादम ✓	उज्जैन वृत्त	सिवनी वृत्त	01-06-61

51.	श्री बापुसिंह वेस्ता ✓	इंदौर वृत्त	शहडोल वृत्त (221)
52.	श्री मालसिंह रायसिंह भूरिया ✓	इंदौर वृत्त	खण्डवा वृत्त (222)
53.	श्री गोपाल सिंह आदिवासी ✓	भोपाल वृत्त	शिवपुरी वृत्त (223)
54.	श्री मोजाराम पवार ✓	खण्डवा वृत्त	इंदौर वृत्त (233)

21-9-53

1-2-54


5-3-53

4-6-54

- 2/ उपरोक्त अधिकारियों के अनुक्रमांक पदस्थापना की दृष्टि से हैं, वरिष्ठता सूची के अनुसार नहीं हैं।
- 3/ मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के अधीन सुविधा सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियां रोस्टर पंजी में कर दी गई हैं।
- 4/ प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबन्धों और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे (नियोक्ता को) उक्त अधिनियम धारा-6 की उपधारा (1) के उपबन्धों का पूर्ण ज्ञान है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार


(आर.के. चौकसे)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

भोपाल, दिनांक 16.07.2012

पृ. क्रमांक एफ 3-58/2012/10-1

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
- सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर
- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, म.प्र. भोपाल
- सदस्य, पर्यावरण एवं वन नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल।
- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-2) सतपुड़ा भवन म.प्र. भोपाल
- विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, वन विभाग भोपाल
- निज सहायक, माननीय राज्यमंत्री, जी वन विभाग भोपाल
- मुख्य वन संरक्षक, बालाघाट/छतरपुर/ग्वालियर/खण्डवा/होशंगाबाद/जबलपुर/छिन्दवाड़ा/शहडोल/सिवनी/रीवा/सागर/शिवपुरी/उज्जैन/भोपाल एवं इंदौर।
- संबंधित अधिकारी द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-2).....
- गार्ड फाईल


अवर सचिव,

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

-4-

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश, भोपाल।

(शाखा-प्रशासन-II)

पृष्ठांकन क्रमांक/प्रशासन-II/व.क्षे.कक्ष/ 4539

भोपाल, दिनांक 16/7/12

प्रतिलिपि:-

- 1/ निज सहायक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) म०प्र०, भोपाल।
- 2/ निज सहायक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना) म०प्र०, भोपाल।
- 3/ निज सहायक, सदस्य पर्यावरण एवं वन, न.घा.वि.प्रा. म०प्र०, भोपाल।
- 4/ निज सहायक, प्रबंध संचालक, म०प्र० राज्य लघु वनोपज संघ, भोपाल।
- 5/ निज सहायक, प्रबंध संचालक म०प्र० राज्य वन विकास निगम, भोपाल।
- 6/ समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक, म०प्र० भोपाल।
- 7/ समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) म०प्र०।
- 8/ कक्ष प्रभारी (गोपनीय/मुख्यालय स्थापना/क्षेत्रीय स्थापना-1) कार्या. अ.प्र.मु.व.सं. (प्रशा-2) म०प्र०, भोपाल।
- 9/ संबंधित कर्मचारी द्वारा संबंधित मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अंग्रेषित।

16/7/12

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-II)

मध्यप्रदेश भोपाल

7
16/7/12

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

मंत्रालय

वल्लभ भवन भोपाल

-: आदेश :-

भोपाल दिनांक 10 अप्रैल, 2012

क्रमांक एफ.3-38/2011/10-1 : राज्य शासन द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 22.10.2011 की प्रतीक्षा सूची के निम्नलिखित उप वन क्षेत्रपालों को वन क्षेत्रपाल के पद पर वेतनमान रूपये 9300-34800+ग्रेड-पे 3600 में पदोन्नत करते हुए कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक वनक्षेपाल /परिक्षेत्राधिकारी के पद पर उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये स्थान पर तत्काल प्रभाव से पदस्थ किया जाता है:-

अ. क्र.	उप वन क्षेत्रपाल का नाम	वरीयता क्रमांक	वर्तमान पदस्थिति का वृत्त	वनक्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नति उपरांत नवीन पदस्थापना	
1.	श्री बोध कुमार दुबे ✓	347	जबलपुर	वन वृत्त जबलपुर ①	7-1-52
2.	श्री बी.एल.बिसेन ✓	348	बालाघाट	वन वृत्त बालाघाट ②	9-7-52
3.	श्री हेमलाल चन्द्राकर ✓	356	होशंगाबाद	वन वृत्त होशंगाबाद ③	22-7-52
4.	श्री शम्भूदयाल पाण्डे ✓	361	होशंगाबाद	वन वृत्त भोपाल	10-5-54
5.	श्री दगडू पाटीदार ✓	364	खण्डवा	वन वृत्त इन्दौर	01-01-56
6.	श्री श्री राम राठौर ✓	365	खण्डवा	वन वृत्त इन्दौर	02-4-57
7.	श्री हरिओम शिवहरे ✓	366	ग्वालियर	वन वृत्त शिवपुरी	1-7-57
8.	श्री के.एम.त्रिपाठी ✓	367	ग्वालियर	वन वृत्त शिवपुरी	1-1-62
9.	श्री श्रवण कुमार मिश्रा ✓	368	भोपाल	वन वृत्त होशंगाबाद	1-2-57
10.	श्री दीपक शर्मा ✓	369	शिवपुरी	वन वृत्त ग्वालियर	15-12-64
11.	श्री सुखदेव शर्मा ✓	370	ग्वालियर	वन वृत्त भोपाल	1-1-64
12.	श्री रघुवा बसोर अ.जा. ✓	300	छतरपुर	वन वृत्त सागर	10-12-53
13.	श्री पूरन सिंह गौड़ ✓	295	सागर	वन वृत्त छतरपुर	05-6-59
14.	श्री विन्देश्वरी राम भगत ✓	296	सागर	वन वृत्त छतरपुर	01-7-67
15.	श्री रमेश कुमार गौड़ ✓	336	शिवनी	वन वृत्त शिवनी ④	2-8-52

2-2-52

- 2/ मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के अधीन सुविधा सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियां रोस्टर पंजी में कर दी गई हैं।
- 3/ प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (अधिनियम 1994) क्रमांक 21-सन् 1994) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के उपबंधों और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किए गये अनुदेशों का अनुपाल किया गया है तथा उसे (नियोक्ता को) उक्त अधिनियम की धारा-6 की उप धारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।
- 4/ संबंधित कर्मचारी को तत्काल पदोन्नति पर भारमुक्त कर इस कार्यालय को अवगत करावें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार,


(एस.आर. चौधरी)

अवर सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

भोपाल, दिनांक 10 अप्रैल, 2012

पृ0क्र0 क्रमांक एफ. 3-38/2011/10-1

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर मध्यप्रदेश।
2. निज सचिव, माननीय वन मंत्री जी/माननीय राज्य मंत्री जी वन विभाग, मध्यप्रदेश शासन।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश भोपाल।
4. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर, मध्यप्रदेश।
5. संबंधित मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक, द्वारा:-अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-II) भोपाल।
6. संबंधित वन मंडलाधिकारी मध्यप्रदेश द्वारा- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-II) भोपाल।
7. संयुक्त संचालक, जन सम्पर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल मध्यप्रदेश।
8. संबंधित कर्मचारी द्वारा:- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(प्रशासन- II) मध्यप्रदेश भोपाल।
9. गार्ड फाईल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


10.4.12
अवर सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

232 224

मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 14 फरवरी 2012

क्रमांक एफ 3-78/2010/10-1, राज्य शासन द्वारा श्री कीरत सिंह ठाकुर उप वनक्षेत्रपाल (वरीयता क्रमांक 05) को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 04.09.2010 की अनुशंसा के परिपेक्ष्य में जारी पदोन्नति आदेश दिनांक 28.09.2010 से "कार्य नहीं वेतन नहीं के सिद्धान्त" के आधार पर वनक्षेत्रपाल के पद पर वेतनमान रूपये 9300-34800+ग्रेड-पे 3600 में पदोन्नत करते हुए कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक वनक्षेत्रपाल/परिक्षेत्रधिकारी के पद पर शहडोल वृत्त शहडोल में तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ किया जाता है।

2/ मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के अधीन सुविधा सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियाँ रोस्टर पंजी में कर दी गई हैं।

3/ प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (अधिनियम, 1994) क्रमांक 21-सन् 1994) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबन्धों और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे (नियोक्ता को) उक्त अधिनियम की धारा-6 की उपधारा(1) के उपबन्धों का पूर्ण संज्ञान है।

208 - 28/3/54

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(एस.आर. चौधरी)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग
भोपाल, दिनांक 14/02/2012

पृ0क्र. एफ 3-78/2010/10-1,
प्रतिलिपि :-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर म0प्र0
- 2 निज सचिव, माननीय वनमंत्री जी/माननीय राज्यमंत्री जी वन विभाग, भोपाल
- 3 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, म0प्र0 भोपाल।

233

278

-2-

- 4 सचिव, MOPRO लोक सेवा आयोग, इंदौर MOPRO
- 5 मुख्य वन संरक्षक सागर/शहडोल MOPRO
- 6 वनमण्डलाधिकारी सागर/शहडोल MOPRO
- 7 संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल MOPRO

श्री कीरत सिंह ठाकुर द्वारा:- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-II) MOPRO भोपाल गार्ड फाईल।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

21/4/12

वन संरक्षक

25/12/11
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, MOPRO

पु. क्रमांक/प्रशा. II/एन. वन संरक्षक/1067 भोपाल, दि. 21/2/12
प्रति लिखित :-

1. मुख्य वन संरक्षक सागर वन सागर MOPRO की ओर प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कार्यवाही की जाति कितनी कर इस कार्यालय को अवगत कराके।

2. मुख्य वन संरक्षक शहडोल वन शहडोल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
21/2/12

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा. II)

MOPRO, भोपाल.

17/2/12

मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

//आदेश//

भोपाल, दिनांक ४ फरवरी 2012

क्रमांक एफ 3-49/2008/10-1, राज्य शासन द्वारा श्री राम अवतार सिंह तोमर उप वनक्षेत्रपाल (वरियता क्रमांक 398) को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 17.7.2008 की अनुशंसा के परिपेक्ष्य में जारी पदोन्नति आदेश दिनांक 30.7.2008 से "कार्य नहीं वेतन नहीं के सिद्धान्त" के आधार पर वनक्षेत्रपाल के पद पर वेतनमान रूपये 9300-34800+ग्रेड-पे 3600 में पदोन्नत करते हुए कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक वनक्षेत्रपाल/परिक्षेत्रधिकारी के पद पर छतरपुर वृत्त छतरपुर में तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ किया जाता है।

2/ मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के अधीन सुविधा सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियाँ रोस्टर पंजी में कर दी गई हैं।

3/ प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (अधिनियम, 1994) क्रमांक 21-सन् 1994 तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबन्धों और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे (नियोक्ता को) उक्त अधिनियम की धारा-6 की उपधारा(1) के उपबन्धों का पूर्ण संज्ञान है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

D.O.B. - 01/07/53


8-2-11
(एस.आर. चौधरी)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग
भोपाल, दिनांक ४/02/2012


पृ0क्र. एफ 3-49/2008/10-1,

प्रतिलिपि :-

1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर म0प्र0

3/2/12

- 2 निज सचिव, माननीय वनमंत्री जी/माननीय राज्यमंत्री जी वन विभाग, भोपाल
- 3 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, म०प्र० भोपाल।
- 4 सचिव, म०प्र० लोक सेवा आयोग, इंदौर म०प्र०
- 5 मुख्य वन संरक्षक छतरपुर वृत्त छतरपुर म०प्र०
- 6 वनमण्डलाधिकारी दक्षिण पन्ना म०प्र०
- 7 संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल म०प्र०
- 8 श्री राम अवतार सिंह तोमर द्वारा:- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-II) म०प्र० भोपाल
- 9 गार्ड फाईल।



3/2/12
8-2-12
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, म०प्र०, भोपाल.

-x-

पु. क्रमांक प्रशा. 11/ अ. प्रो. कुश्न 1924 भोपाल, 19.10/2012

प्रतिनिधि:- मुख्य वन संरक्षक दलपुर वन दलपुर म०प्र०
 श्री कोर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
 संबंधित कार्यवाही को तादृश की प्रति वितागत कर इस
 कार्यालय को अकाल वराने वा प्रच्छ करें।

10/10/12

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा. II)

म०प्र०, भोपाल
 10/10/12
 कोर

228

मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 25 / 01 / 2012

क्रमांक एफ 3-38/2011/10-1, राज्य शासन द्वारा श्री रामस्वरूप तिवारी उप वनक्षेत्रपाल (वरियता क्रमांक 169) को उनसे कनिष्ठ की पदोन्नति की तिथि दिनांक 17.11.2011 से वनक्षेत्रपाल के पद पर वेतनमान रूपये 9300-34800+ग्रेड-पे 3600 में पदोन्नत करते हुए कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक वनक्षेत्रपाल/परिक्षेत्राधिकारी के पद पर छतरपुर वृत्त छतरपुर में तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ किया जाता है।

2/ मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के अधीन सुविधा सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियाँ रोस्टर पंजी में कर दी गई हैं।

3/ प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (अधिनियम, 1994) क्रमांक 21-सन् 1994) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबन्धों और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे (नियोक्ता को) उक्त अधिनियम की धारा-6 की उपधारा(1) के उपबन्धों का पूर्ण संज्ञान है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

D.O.B-11/1/54

(रमेश कुमार श्रीवास्तव)

अपर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

Page 2

229

1/2/1

पृ0क्र. एफ 3-38/2011/10-1,

भोपाल, दिनांक 25/01/2012

प्रतिलिपि :-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर म0प्र0
- 2 निज सचिव, माननीय वनमंत्री जी/माननीय राज्यमंत्री जी वन विभाग, भोपाल
- 3 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, म0प्र0 भोपाल
- 4 सचिव, म0प्र0 लोक सेवा आयोग, इंदौर म0प्र0
- 5 मुख्य वन संरक्षक छतरपुर वृत्त छतरपुर म0प्र0
- 6 वनमण्डलाधिकारी छतरपुर म0प्र0
- 7 संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल म0प्र0
- 8 श्री रामस्वरूप तिवारी द्वारा:- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-II) म0प्र0 भोपाल
- 9 गार्ड फाईल।

वन क्षेत्र प्रशासन
 27/1/12
 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
 (प्रशा-II) म.प्र. भोपाल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

कामनिष्ठ प्रेषित मुख्य वन संरक्षक, म0प्र0

पु. क्रमांक प्रशा. 12/व.के. क्रमांक 625 भोपाल, दि. 28/1/12
 प्रतिनिधि - मुख्य वन संरक्षक इंदौर, 27 दिसम्बर,
 म0प्र0 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
 अग्रेषित। सूचना संबंधित कार्यवाही की प्रति विज्ञापित
 कर इस कामनिष्ठ को अंकित करावे।
 दि. 28/1/12

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा-II)

म0प्र0, भोपाल

28/1/12
 [Signature]

मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2012

क्रमांक एफ-03/10/2013/10-1: श्री सकला रूपा देवडा, वनक्षेत्रपाल अनुसंधान एवं विस्तार इन्दौर द्वारा दिनांक 25.09.2012 को पेंशन नियम 1976 के नियम 42 के उपनियम (1) के खंड (क) के अनुसार प्रारूप 28 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु विधिवत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 31.12.2012 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाही गई। प्रधान मुख्य वन संरक्षक म0प्र0 भोपाल द्वारा श्री देवडा वनक्षेत्रपाल को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत किए जाने की अनुशंसा की है।

2- अतः राज्य शासन एतद द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 के नियम 42 के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु प्राप्त आवेदन पत्र के आधार पर श्री सकला रूपा देवडा, वनक्षेत्रपाल, अनुसंधान एवं विस्तार इन्दौर को दिनांक 31.12.2012 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्त किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(बदामना कर्मनिया)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग
भोपाल दिनांक 23 जनवरी 2013



क्र. एफ-03/10/2013/10-1

प्रतिलिपि -

01. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी म0प्र0 ग्वालियर।
02. निज सहायक मान. वनमंत्रीजी म0प्र0 भोपाल।
03. प्रधान मुख्य वन संरक्षक म0प्र0 भोपाल।
04. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(प्रशासन-2) म0प्र. भोपाल की ओर टीप क्रमांक यू.ओ. क्रमांक 684 दिनांक 24.12.2012 के संदर्भ मे।
05. पेंशन कक्ष कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक म0प्र0 भोपाल।
06. मुख्य वन संरक्षक इंदौर वृत्त इन्दौर म0प्र0।
07. श्री सकला रूपा देवडा, वनक्षेत्रपाल अनुसंधान एवं विस्तार इन्दौर द्वारा अ0प्र0मु0व0स0 (प्रशासन-2) म0प्र0 भोपाल।
08. स्टाक फाईल

त्र-श्री.
24/1/13
पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(कक्षा-III) म.प्र. भोपाल
23.1.13

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, म.प्र. भोपाल.

पू. क्रमांक/प्रशा. 1/2-शे कक्षा 514 भोपाल, दि. 24/1/13
प्रतिलिपि:-

1. मुख्य वन संरक्षक इन्दौर वन इन्दौर / मुख्य वन संरक्षक अनुसंधान विस्तार इन्दौर की ओर मुख्य कार्य एवं आवेदन पत्र प्रेषित हेतु प्रेषित। अधिकांश संख्या व.श्री. की आदेशों प्रतिलिपि वितरित करता करता करता करता करता करता करता।
2. अधिकांश (गोपनीय कक्षा) क्रमांक 3-3-मु.श. ल. (प्रशा.) 24.1.13 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा. 1) म.प्र. भोपाल